

न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बड़जलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आघ्यासित)
प्रकरण संख्या: 50/2020/अपील/एलआरएक्ट/कैप कोर्ट बून्दी
दायरा दिनांक: 07.08.2020
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कालू आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भैसों का नयागांव, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामदत्त शर्मा अभिभाषक -अपीलार्थी
पैरोकार सरकार - रेस्पो0


::निर्णय::

दिनांक 30.04.2025

अपीलांट्स ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 363/प्रा.पत्र/2001 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम कालू में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2002 के विरुद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवां, द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 पेश किया जाकर आराजी खसरा सं0 1847 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाछोला का अपीलार्थी कालू को किया गया आवंटन दिनांक 12.06.1999 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमित भूमि के लिए नियम 20 के अनुसार आवेदन-पत्र प्रारूप 5-ख में नहीं होने से तथा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 1.11.2002 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 1.11.2002 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.11.2002 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना-पत्र इसलिए खारिज नहीं किया कि 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि में अपीलार्थी भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि पिता-माता तथा दो भाई के साथ में रहते हैं। इस कारण 1/4 हिस्सा आता है, इस कारण प्रार्थना-पत्र ही गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह लिखकर भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है और वह अतिक्रमी है, उसे प्रार्थना-पत्र नियम 20 के अनुसार आवेदन पत्र प्रारूप 5ख में किया जाता है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, क्योंकि अपीलार्थी को जो फॉर्म दिया गया था, वह आवंटन समिति द्वारा ही दिया गया था तथा उसी को भरकर प्रस्तुत किया गया था।



इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी, इस कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। दिनांक 14.06.2016 को नकल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 22.06.2016 को नकल प्राप्त होने के उपरांत अपील पेश की गई है, इसलिए अपील जानकारी की अवधि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत मानी जावे तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.11.2002 निरस्त फरमाया जावे तथा आवंटन बहाल रखा जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पों पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि आवंटी ने आवंटन के समय आवेदन-पत्र प्रारूप नियम 20(5)ख में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि आवंटन समिति द्वारा ही आवंटन हेतु उक्त आवेदन पत्र दिया गया था, जिसे ही भरकर आवंटी ने प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में फॉर्म 5ख में नहीं होने के आधार पर आवंटन कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवंटन निरस्त करने का दूसरा कारण अंकित किया कि अपीलार्थी के पिता के खाते में 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि है, जिसमें अपीलार्थी के खाते में केवल मात्र 4 बीघा कुछ बिस्वा आती है, क्योंकि अपीलार्थी का भाई और अपीलार्थी के पिता आवंटन के समय इस भूमि में कानूनी रूप से हकदार थे, यह तथ्य आवंटन फॉर्म में भी पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है। आवंटनशुदा भूमि को मिलाकर अपीलार्थी के पास 15 बीघा असिंचित भूमि से अधिक भूमि नहीं होती है और 4 बीघा कुछ बिस्वा के आधार पर आवंटी अपीलार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी आवंटनशुदा भूमि पर 25 वर्ष से लगातार काबिज चला आ रहा है, इस हेतु संवत् 2058 से खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रस्तुत की गयी है, जो राजकीय दस्तावेज की प्रतियां है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.11.2002 निरस्त किये जाने तथा आवंटन को बहाल रखे जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1987 Page 448, RLW 2002(1) Rev. Supp Page 22, RRD 1987 Page 419, RRD 2001 Page 466, RRD 1994 Page 381 पेश किये।

5. रेस्पों पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया। तत्समय आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं होने, अध्ययनरत होने तथा पिता के साथ संयुक्त रूप से रहने से पिता के खाते की 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि होने पर आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नैनवां, द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 पेश किया जाकर आराजी खसरा सं० 1847 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बाछोला का अपीलार्थी कालू को किया गया आवंटन दिनांक 12.06.1999 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमित भूमि के लिए नियम 20 के अनुसार आवेदन-पत्र प्रारूप 5-ख

सिमानाव आयुक्त
कैम्प, कोटा

में नहीं होने से तथा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 1.11.2002 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि आवंटनी ने आवंटन के समय आवेदन-पत्र प्रारूप नियम 20(5)ख में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि आवंटन समिति द्वारा ही आवंटन हेतु उक्त आवेदन पत्र दिया गया था, जिसे ही भरकर आवंटनी ने प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में फॉर्म 5ख में नहीं होने के आधार पर आवंटन कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवंटन निरस्त करने का दूसरा कारण अंकित किया कि अपीलार्थी के पिता के खाते में 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि है, जिसमें अपीलार्थी के खाते में केवल मात्र 4 बीघा कुछ बिस्वा आती है, क्योंकि अपीलार्थी का भाई और अपीलार्थी के पिता आवंटन के समय इस भूमि में कानूनी रूप से हकदार थे, यह तथ्य आवंटन फॉर्म में भी पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है। आवंटनशुदा भूमि को मिलाकर अपीलार्थी के पास 15 बीघा असिंचित भूमि से अधिक भूमि नहीं होती है और 4 बीघा कुछ बिस्वा के आधार पर आवंटनी अपीलार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि आवंटन के समय मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आवंटनी कालू का कार्य कृषि कार्य के स्थान पर अध्ययन कार्य करना तथा पिता के खाते की आराजी में से प्रार्थी/अपीलार्थी का हिस्सा होना अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट पटवारी द्वारा अपीलार्थी/आवंटनी के अतिक्रमी (trespasser) होने का उल्लेख किया गया है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि "अतिक्रमणकारियों को भूमि का आवंटन:- (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य निर्देश के अधीन रहते हुए, उप-विभागीय अधिकारी, सलाहकार समिति की सलाह पर, किसी अतिचारी को उसके द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अधिभोग की गई किसी भूमि से बेदखल करने के स्थान पर, उसे ऐसी भूमि को अपने पास रखने की अनुमति दे सकेगा यदि वह भूमिहीन कृषक है"। इस प्रकार अपीलार्थी के पास संयुक्त रूप से पिता के खाते में 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि होने से भूमिहीन की श्रेणी में नहीं होना मानते हुए तथा अतिक्रमित भूमि के लिए नियम 20 के अनुसार आवेदन पत्र प्रारूप 5ख में प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन विधि विरुद्ध होना प्रकट होने से अपीलार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 12.6.1999 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 1.11.2002 पारित किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यदि आवंटन नियमों के विरुद्ध है या आवंटनी ने आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति आवंटन निरस्त किये जाने का प्रावधान वर्णित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 01.11.2002 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय कीटाणुकोष
कोटा संभाग, कोटा